




राज्यपाल (भाग 3)





राज्यपाल

(भाग-III)

राष्ट्रपति- अनुच्छेद 52-78 (भाग V); राज्यपाल- अनुच्छेद 153-167 (भाग VI)

राज्यपाल व राष्ट्रपति-समानताएँ

समानता का बिंदु	विशेषताएँ
प्रमुख	♦ दोनों अपने स्तर पर नाममात्र के कार्यकारी प्रमुख (संवैधानिक/शीर्षक प्रमुख) हैं
अध्यादेशों का प्रख्यापन	♦ दोनों के पास यह शक्ति है (अनुच्छेद 123- राष्ट्रपति; अनुच्छेद 213- राज्यपाल)
सिविल और आपराधिक कार्यवाही	♦ दोनों कार्यकाल के दौरान किसी भी आपराधिक कार्यवाही से मुक्त हैं; गिरफ्तार या कैद नहीं किया जा सकता। ♦ 2 महीने का नोटिस देकर सिविल कार्यवाही शुरू की जा सकती है।
पुनर्नियुक्ति/पुनर्निर्वाचन	♦ दोनों एक ही कार्यालय में पुनर्नियुक्ति/पुनर्निर्वाचन के पात्र हैं
नियुक्ति अधिकारी	♦ जिस प्रकार राष्ट्रपति राष्ट्रीय स्तर पर नियुक्तियाँ करता है वैसे ही राज्यपाल राज्य स्तर पर नियुक्ति करता है (लोक सेवा आयोग के सदस्य, न्यायालयों के न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त आदि)।
विधानमंडल में भूमिका	♦ राज्य/संघ विधानमंडल को आहूत करने या सत्रावसान करने और राज्य विधानसभा/लोकसभा को भंग करने की शक्ति
वित्तीय शक्तियाँ	♦ राज्य/संघ स्तर पर वित्त आयोग का गठन करना
परिस्थितिजन्य विवेकाधीन शक्ति	♦ प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री की नियुक्ति (प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री की मृत्यु के मामले में या जब किसी दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है) ♦ मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी ♦ लोकसभा/राज्य विधायिका को भंग करना

राज्यपाल बनाम राष्ट्रपति

अंतर का बिंदु	राष्ट्रपति	राज्यपाल
निर्वाचन	अप्रत्यक्ष चुनाव	राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त
प्रसादपर्यंतता का सिद्धांत	प्रसादपर्यंतता के सिद्धांत की कोई अवधारणा नहीं	राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद पर बना रहता है
अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा	किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकता है	भूमिका सलाह/परामर्श के अधीन
संविधान में संशोधन	विधेयक पर इसकी सहमति आवश्यक है	संविधान संशोधन में कोई भूमिका नहीं
क्षमादान शक्ति	मृत्युदंड की सजा/कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा को माफ कर सकता है	मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकता; सैन्य मामलों में कोई भूमिका नहीं
संवैधानिक विवेकाधिकार	कोई संवैधानिक विवेकाधिकार नहीं	किसी विधेयक को सुरक्षित रखने, राष्ट्रपति शासन लगाने और किसी निकटवर्ती केंद्रशासित प्रदेश के प्रशासन के संदर्भ में संवैधानिक विवेकाधिकार
महाभियोग की स्थिति	संविधान का उल्लंघन	कोई आधार निर्धारित नहीं

